अनुदान संख्या 53 - चंडीगढ़
GRANT No. 53 - CHANDIGARH

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*506,87,00*			
			514,45,00	*512,80,83*	*-1,64,17*
पूरक	*Supplementary*	*7,58,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	5351,75,00			
			5445,04,00	5432,89,43	-12,14,57
पूरक	Supplementary	93,29,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*50,00,00*	*50,00,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	605,00,00			
			605,01,00	602,49,09	-2,51,91
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचत (*₹164.17 लाख*) दिसंबर, 2024 में प्राप्त *₹758.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 22 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 1 प्रतिशत से भी कम थी।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹164.17 lakhs*) constituted 22 percent of the supplementary *appropriation* of *₹758.00 lakhs* obtained in December, 2024 and less than 1 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष Head			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	*O.*	*50367.00*	*51125.00*	*50970.83*	*-154.17*
पु.	*R.*	*758.00*			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹10.00 लाख* का *विनियोग* पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹10.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

(II) "उच्च न्यायालय– स्थापना" के अंतर्गत *₹50367.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹758.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके *₹51125.00 लाख* तक बढ़ाया गया, तथापि, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की व्यवसायिक सेवाओं का कम उपयोग करने तथा रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण *₹154.17 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(II) Under "High Courts - Establishment" - the original *appropriation* of *₹50367.00 lakhs* was augmented to *₹51125.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹758.00 lakhs* which, however, remained unutilized to the extent of *₹154.17 lakhs* - due to less engagement of professional services and non-filling up of vacant posts in Punjab and Haryana High Court.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचत (₹1214.57 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹9329.00 लाख के पूरक अनुदान का 13 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से भी कम थी।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹1214.57 lakhs) constituted 13 percent of the supplementary grant of ₹9329.00 lakhs obtained in December, 2024 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	12783.00	13920.39	13702.10	-218.29
पू.	S.	300.00			
पु.	R.	837.39			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	17497.00			
पू.	S.	500.00	19647.65	19613.21	-34.44
पु.	R.	1650.65			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	8950.00			
			8099.52	8096.40	-3.12
पु.	R.	-850.48			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	72170.00			
पू.	S.	1164.00	78229.63	78200.85	-28.78
पु.	R.	4895.63			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	70461.00			
पू.	S.	1683.00	70963.24	70907.21	-56.03
पु.	R.	-1180.76			
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	63783.00			
			62477.39	62464.81	-12.58
पु.	R.	-1305.61			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
विद्युत	Power				
मू.	O.	102759.00			
पू.	S.	200.00	103758.78	103362.71	-396.07
पु.	R.	799.78			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	1500.00			
			7.58	7.08	-0.50
पु.	R.	-1492.42			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	38836.00			
पू.	S.	300.00	37553.58	37463.34	-90.24
पु.	R.	-1582.42			

(I) ₹1059.80 लाख का प्रावधान अठारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹1000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – निर्यात योजना" के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाई की स्थापना प्रक्रियाधीन होने की वजह से निर्यात नीति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1059.80 lakhs remained wholly unutilized under eighteen heads; of these ₹1000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2852" - "General - Direction and Administration - Export Plan" - due to non-finalisation of Export Policy as the process of setting up of Project Implementation Unit is under process.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए के अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :–

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each :-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – सरकारी चिकित्सा कॉलेज" –

(A) Major Heads "2210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Government

₹45398.75 लाख के मूल प्रावधान को ₹1233.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹46631.75 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1433.58 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) चिकित्सा कॉलेज में 300 नर्सों, 81 फैकल्टी और 140 स्नातकोत्तर जूनियर रेज़िडेंट के खाली पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

Medical College" - the original provision of ₹45398.75 lakhs was augmented to ₹46631.75 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1233.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1433.58 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts of 300 Nurses, 81 Faculty and 140 Post Graduate Junior Resident in Medical College.

(ख) मुख्य शीर्ष "3055" – "चंडीगढ़ परिवहन निगम – संचालन" के अंतर्गत ₹33896.92 लाख के मूल प्रावधान को ₹300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹34196.92 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹926.19 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 176 परिचालकों और 133 चालकों के पदों को पुनर्जीवित न किए जाने के कारण हुई।

(B) Under Major Head "3055" - "Chandigarh Transport Undertaking - Operation" - the original provision of ₹33896.92 lakhs was augmented to ₹34196.92 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹300.00 lakhs. However, there was a saving of ₹926.19 lakhs (including supplementary grant) - due to non-revival of posts of 176 Conductors and 133 Drivers by the Ministry of Road Transport and Highways.

(III) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – रखरखाव और मरम्मत – स्थापना" के अंतर्गत ₹630.69 लाख की बचत (₹3654.94 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ इंजीनियरी विभाग में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और मृत्यु के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2059" - "General - Maintenance and Repairs - Establishment" - saving of ₹630.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3654.94 lakhs) was due to retirement and death of employees in Chandigarh Engineering Department.

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" – "होम गार्ड्स – चंडीगढ़" के अंतर्गत ₹550.52 लाख की बचत (₹7107.62 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और छुट्टियों की वजह से वेतन के अंतर्गत कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2070" - "Home Guards - Chandigarh" - saving of ₹550.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7107.62 lakhs) was due to requirement of less funds under wages owing to non-filling up of vacant posts and leaves.

(V) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता – चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी" के अंतर्गत ₹1000.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2217" - "General - Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. - Chandigarh Smart City" - saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to requirement of less funds under Grants-in-aid-General.

(VI) मुख्य शीर्ष "2801" – "संचरण और वितरण – उचंत – स्टॉक" के अंतर्गत ₹731.82 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी ई–मार्किट स्थल के माध्यम से स्टोर सामग्री की खरीद के

(VI) Under Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Suspense - Stock" - saving of ₹731.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-finalisation of

प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VII) दस शीर्षों के अंतर्गत ₹3746.28 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थी।

3.(I) उपर्युक्त बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:–

(का) मुख्य शीर्ष "2014" – "उच्च न्यायालय – स्थापना" – ₹609.11 लाख का अधिक व्यय (₹300.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹6623.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधि शोधकर्ताओं के मानदेय के भुगतान, संविदा कर्मचारियों को काम पर रखने, चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में आईटी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – रखरखाव और मरम्मत – भवनों की मरम्मत और रखरखाव" – ₹2091.83 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹7206.81 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला कलेक्टर दरों में वृद्धि होने और चंडीगढ़ इंजीनियरी विभाग के अधीन नए श्रमिकों को काम पर रखे जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "प्रारंभिक शिक्षा – निदेशन और प्रशासन – प्राथमिक विद्यालय" – ₹2964.30 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹26301.70 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "माध्यमिक शिक्षा – राजकीय माध्यमिक विद्यालय – माध्यमिक विद्यालय" – ₹2310.99 लाख का

proposals for procurement of store material through Government e-Marketplace.

(VII) Under ten heads savings of ₹3746.28 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 100 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2014" - "High Courts - Establishment" - excess of ₹609.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6623.04 lakhs including supplementary grant of ₹300.00 lakhs) was due to payment of honorarium towards Law Researchers, engagement of contractual staff, reimbursement of medical claims and procurement of IT software and hardware in Punjab and Haryana High Court.

(B) Major Head "2059" - "General - Maintenance and Repairs - Repairs and Maintenance of Buildings" - excess of ₹2091.83 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7206.81 lakhs including supplementary grant of ₹500.00 lakhs) was due to enhanced District Collector rates and engagement of new labour under Chandigarh Engineering Department.

(C) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education - Direction and Administration - Primary Schools" - excess of ₹2964.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹26301.70 lakhs including supplementary grant of ₹1000.00 lakhs); and

(b) "Secondary Education - Government Secondary Schools - Secondary Schools" -

अधिक व्यय (₹18482.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय जूनियर बेसिक शिक्षकों और कुशल स्नातक शिक्षकों की भर्ती किए जाने तथा सरकारी स्कूलों के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाई गई मजदूरी दरों के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "2210" – "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अस्पताल और औषधालय – सामान्य अस्पताल, चंडीगढ़" – ₹846.08 लाख का अधिक व्यय (₹450.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹13121.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पतालों और औषधालयों के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाई गई मजदूरी दरों के कारण हुआ।

(ड.) मुख्य शीर्ष "2801" – "पारेषण और वितरण – चंडीगढ़ में विद्युत का पारेषण और वितरण – विद्युत वितरण" – ₹1135.53 लाख का अधिक व्यय (₹200.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹101959.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों की पदोन्नति/वेतन वृद्धि, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया, वेतन की बढ़ी हुई जिला कलेक्टर दरों और इंजीनियरी विभाग के तहत नए श्रमिकों की नियुक्ति के कारण हुआ।

(II) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1105.53 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं था तथा स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

excess of ₹2310.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18482.90 lakhs).

Excess under the above two heads were due to recruitment of Junior Basic Teachers and Trained Graduate Teachers and enhanced District Collector rates of wages to outsourced staff of Government schools.

(D) Major Head "2210" - "Urban Health Services - Allopathy - Hospitals and Dispensaries - General Hospital, Chandigarh" - excess of ₹846.08 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13121.00 lakhs including supplementary grant of ₹450.00 lakhs) was due to enhanced District Collector rates of wages to outsourced staff of hospitals and dispensaries.

(E) Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power" - excess of ₹1135.53 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹101959.00 lakhs including supplementary grant of ₹200.00 lakhs) was due to promotion/increment of employees, arrears of 7th Central Pay Commission, enhanced District Collector rates of wages and engagement of new labour under the Engineering Department.

(II) Under three heads excess of ₹1105.53 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 22 percent of the sanctioned provision.

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	3309.00			
			2809.05	2804.15	-4.90
पु.	R.	-499.95			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	4324.00			
			5258.71	5165.14	-93.57
पु.	R.	934.71			
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	11305.00			
			11000.10	10995.97	-4.13
पु.	R.	-304.90			
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	9627.00			
पू.	S.	1.00	12972.52	12972.34	-0.18
पु.	R.	3344.52			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"				
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	9066.00			
			6782.31	6782.27	-0.04
पु.	R.	-2283.69			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	2060.00			
			720.51	720.50	-0.01
पु.	R.	-1339.49			
मुख्य शीर्ष "4810"	Major Head "4810"				
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on New and Renewable Energy				
मू.	O.	6136.00			
			7200.50	7200.50	..
पु.	R.	1064.50			
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"				
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	5749.00			
			4748.93	4658.87	-90.06
पु.	R.	-1000.07			

(I) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹269.30 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹269.30 lakhs remained wholly unutilized under six heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4055" – "राज्य पुलिस – अन्य संबद्ध कार्य" के अंतर्गत ₹755.85 लाख की बचत (₹2876.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस विभाग के लिए वाहनों और मशीनरी की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4055" - "State Police - Other Allied Works" - saving of ₹755.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2876.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of vehicles and machinery for Police Department.

(III) मुख्य शीर्ष "4202" – "सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – भवन" के अंतर्गत ₹1658.14 लाख की बचत (₹4045.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चार सरकारी कॉलेजों में ऑडिटोरियम के उन्नयन के कार्य को मंजूरी न मिलने और विभिन्न सरकारी स्कूलों में फर्नीचर और फिक्सचर की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4202" - "General Education - University and Higher Education - Buildings" - saving of ₹1658.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4045.20 lakhs) was due to non-approval of work for upgradation of auditoriums in four Government Colleges and non-finalisation of proposals for procurement of furniture and fixture in various Government Schools.

(IV) मुख्य शीर्ष "4217" – "राज्य राजधानी विकास – निर्माण – अन्य स्कीमें" के अंतर्गत ₹2124.16 लाख की बचत (₹8540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) थोक सामग्री मार्किट के संशोधित ले–आऊट प्लान के अनुमोदन में विलम्ब, सरकारी आवास के निर्माण के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और इंजीनियरी विभाग के लिए नई मशीनरी और वाहनों को मंजूरी न मिलने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4217" - "State Capital Development - Construction - Other Schemes" - saving of ₹2124.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8540.00 lakhs) was due to delay in approval of revised layout plan for the Bulk Material Market, non-finalisation of proposals for construction of Government houses and non-sanction of new machinery and vehicles for the Engineering Department.

(V) मुख्य शीर्ष "4801" – "पारेषण और वितरण – चंडीगढ़ में बिजली का पारेषण और वितरण – बिजली का वितरण" के अंतर्गत ₹1339.50 लाख की बचत (₹2060.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ अक्षय ऊर्जा और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग को गैर–आवासीय भवनों के हस्तांतरण और बिजली विभाग के निजीकरण के कारण हुई।

(V) Under Major Head "4801" - "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power" - saving of ₹1339.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2060.00 lakhs) was due to transfer of non-residential buildings to Chandigarh Renewable Energy and Science Technology Department and privatization of Electricity Department.

(VI) मुख्य शीर्ष "5055" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VI) Under Major Head "5055" - savings occurred under the following heads:-

(का) "बेड़े का अधिग्रहण – चंडीगढ़ परिवहन निगम" –

(A) "Acquisition of Fleet - Chandigarh

₹790.04 लाख की बचत हुई (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ परिवहन विभाग में विक्रेताओं से निर्माण के बाद 60 बसों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

Transport Undertaking" - saving of ₹790.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-receipt of 60 buses after fabrication from the vendors in the Chandigarh Transport Department.

(खा) "चंडीगढ़ परिवहन निगम – प्रशासनिक ब्लॉक" – ₹829.60 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से परियोजना को मंजूरी न मिलने की वजह से लंबें मार्गों पर इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली कार्यान्वित न होने के कारण हुई।

(B) "Chandigarh Transport Undertaking - Administrative Block" - saving of ₹829.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to non-implementation of Intelligent Transportation System on Long Routes owing to non-approval of project from Ministry of Road Transportation and Highways.

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹493.37 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत है।

(VII) Under one head saving of ₹493.37 lakhs occurred constituting 60 percent of the sanctioned provision.

5.(I) उपर्युक्त बचत (₹2861.73 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "4210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – सरकारी मेडिकल कॉलेज/500 बिस्तरों वाला दूसरा सरकारी अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2861.63 लाख था।

5.(I) The above savings were partly (₹2861.73 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under the Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Government Medical College/500 Bedded Second Government Hospital Sector 32, Chandigarh". Actual excess, however, was ₹2861.63 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – न्याय प्रशासन" के अंतर्गत ₹1344.16 लाख का अधिक व्यय (₹3228.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाईफाई बिलों, लैन बिलों के भुगतान, उच्च न्यायालय में मशीनरी और उपकरणों की खरीद और जिला न्यायालय परिसर में बहुस्तरीय पार्किंग के कार्य के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Administration of Justice" - excess of ₹1344.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3228.70 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of wifi bills, LAN bills, purchase of machinery and equipment in High Court and work of multilevel parking at District Court complex.

(खा) मुख्य शीर्ष "4210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – अन्य मदें" – ₹651.48 लाख का अधिक व्यय (₹1836.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीएमएसएच – 16 में 500 केएलडी और मनीमाजरा में 85 केएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और सेक्टर 16, चंडीगढ़ में अस्पताल पूल के लिए 66 सरकारी आवासों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Other Items" - excess of ₹651.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1836.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction of Sewerage Treatment Plant of 500 KLD at GMSH - 16, 85 KLD at Manimajra and 66 Government Houses for hospital pool at Sector - 15, Chandigarh.

(गा) मुख्य शीर्ष "4810" – "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अनुप्रयोग – सौर शहर" – ₹1064.50 लाख का अधिक व्यय (₹6136.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी रूफटाप सैटुरेशन के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विभिन्न सरकारी आवासीय घरों में 3.5 मेगावाट पी और 4.5 मेगावाट पी के एसपीवी पावर प्लांट और विभिन्न सरकारी स्थलों के लिए 1 मेगावाट पी की स्थापना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) Major Head "4810" - "New and Renewable Energy Programmes and Applications - Solar City" - excess of ₹1064.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6136.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for the installation of SPV Power Plants of 3.5 MWp and 4.5 MWp in various Government residential houses and 1MWp for various Government sites as per the target set by the Ministry of Home Affairs for Government rooftop saturation.

(घा) मुख्य शीर्ष "5055" – "चंडीगढ़ परिवहन निगम – कार्यशाला का विस्तार और विकास" – ₹635.84 लाख का अधिक व्यय (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य के दायरे में वृद्धि और रायपुर कलां, चंडीगढ़ में चौथे सीटीयू बस डिपो और कार्यशाला में एचवीएसी प्रणाली की स्थापना के कारण हुआ।

(D) Major Head "5055" - "Chandigarh Transport Undertaking - Expansion and Development of Workshop" - excess of ₹635.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to increase in scope of work and installation of HVAC System at 4th CTU Bus Depot cum Workshop at Raipur Kalan, Chandigarh.

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1542.91 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक शीर्ष ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं था तथा स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 102 प्रतिशत तक था।

(III) Under four heads excess of ₹1542.91 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 102 percent of the sanctioned provision.